

42

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग,
मंत्रालय,

क्रमांक एफ 3-58/2016/18-5
प्रति,

भोपाल दिनांक 7/8/2016

1. कलेक्टर,
जिला-बुरहानपुर
2. उप संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय,
खण्डवा ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत बुरहानपुर
4. आयुक्त
नगर पालिक निगम
बुरहानपुर ।

विषय :- बुरहानपुर विकास योजना 2021 में उपांतरण बाबत।

राज्य शासन ने बुरहानपुर विकास 2021 में उपांतरण का निर्णय लिया है जिसकी सूचना जनसामान्य की जानकारी के लिये सूचना दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराया जा रहा है।

नियमानुसार संलग्न सूचना को 15 दिन की समयावधि के लिये आपके कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा कराकर विभाग को सूचित कराने का कष्ट करें।
संलग्न :- यथोपरि

Sujant
(सुप्रिया पेंडके)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
भोपाल दिनांक 7/8/2016

पृ0क0-एफ 3-58/2016/18-5
प्रतिलिपि :-

आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, भोपाल को संचालनालय की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचना की प्रति के साथ अग्रेषित।

Sujant
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
आवक क्र. 1139
दिनांक 12/8/16
शाखा विकास योजना
T.C
अधिकारी

लिखकर दे कि नहीं लेना है।

DM/S

19/8/16

19.8.16

मध्य प्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

सूचना

भोपाल, दिनांक ५/८/२०१६

क्रमांक एफ-३-५८/२०१६/१८-५:: मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) १९७३ (क्रमांक-१ सन् २०१२), की धारा २३-क की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बुरहानपुर विकास योजना २०२१ में उपांतरण प्रस्तावित करती है :-

उपांतरण का विवरण

| सं. क्र | ग्राम का नाम | खसरा क्र. | क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) | विकास योजना अनुसार भू-उपयोग | उपांतरण अनुसार प्रस्तावित भू-उपयोग |
|---------|--------------|-----------|--------------------------|---|------------------------------------|
| १. | २. | ३. | ५. | ६. | ७. |
| १ | मोहम्मदपुरा | २४६ | २०२५ | प्रस्तावित रिंग-रोड क्र.-२ (४५.०० मीटर) | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| २ | | २४७ | ८१०० | प्रस्तावित रिंग-रोड क्र.-२ (४५.०० मीटर) | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| ३ | | २४९ | ११२५ | प्रस्तावित रिंग-रोड क्र.-२ (४५.०० मीटर) | मिश्रित |
| ४ | | २३१ | २७०० | प्रस्तावित रिंग-रोड क्र.-२ (४५.०० मीटर) | मिश्रित |
| ५ | | २२७ | ४५० | प्रस्तावित रिंग-रोड क्र.-२ (४५.०० मीटर) | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| ६ | | २२८ए | ५८५० | प्रस्तावित रिंग-रोड क्र.-२ (४५.०० मीटर) | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| ७ | | २२८बी | १८०० | प्रस्तावित रिंग-रोड क्र.-२ (४५.०० मीटर) | मिश्रित |
| ८ | | २१८ | ३६०० | प्रस्तावित रिंग-रोड क्र.-२ (४५.०० मीटर) | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| ९ | | २१९ | ४५० | प्रस्तावित रिंग-रोड क्र.-२ (४५.०० मीटर) एवं मिश्रित | सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक |
| १० | लालबागमाल | २२८ | १३०५० | प्रस्तावित रिंग-रोड क्र.-२ (४५.०० मीटर) | मिश्रित |
| ११ | | २२९ | ६७५० | प्रस्तावित रिंग-रोड क्र.-२ (४५.०० मीटर) | मिश्रित |
| १२ | | २३५ | ७६५० | प्रस्तावित रिंग-रोड क्र.-२ (४५.०० मीटर) | मिश्रित |
| | योग :- | | ५३५५० वर्गमीटर | | |

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खण्डवा तथा www.mptownplan.nic.in वेबसाईट पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपांतरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो वह अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां, या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हों, पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार,

(सी.क.साधव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And Housing Department
MANTRALAYA

Notice

Bhopal, Dated 9 / 8 / 2016

No.F-3-58/2016/18-5 :: In exercise of the Powers Conferred by Clause (a) of Sub section (1) of section 23-A of The Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, (Sanshodhit) 1973 (No.1 of 2012), The State Government hereby notify the proposal of following modifications for public information, in the Burhanpur Development Plan, 2021 as specified in the schedule hereunder, namely :-

SCHEDULE


| No. | Village | Khasara No. | Area (In Sq.mt.) | Land use specified in the development plan | Modified land use after modifications |
|-----|--------------------|-------------|------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Gram-Mohammad pura | 246 | 2025 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |
| 2. | | 247 | 8100 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |
| 3. | | 249 | 1125 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Mixed |
| 4. | | 231 | 2700 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Mixed |
| 5. | | 227 | 450 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |
| 6. | | 228 A | 5850 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |
| 7. | | 228 B | 1800 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Mixed |
| 8. | | 218 | 3600 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |
| 9. | | 219 | 450 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Public and Semi Public |

| | | | | | |
|-----|-----------|--------------|--------------------------|--|-------|
| 10. | Lalbagmal | 228 | 13050 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Mixed |
| 11. | | 229 | 6750 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Mixed |
| 12. | | 235 | 7650 | Proposed Ring Road No.-2 (45.00 Meter) | Mixed |
| | | Total | 53550 Sq.Mts. | | |

Details of The Proposed modifications shall be available for inspection to the public in the office of Deputy Director, Town and Country Planning, Khandwa as well as on the web site. www.mptownplan.nic.in for a period of 15 days from the date of publication of this notice.

Any objection/suggestions may be furnished in writing within 15 days from the date of publication of this notice in the daily news papers to the Under Secretary, Government of Madhya Pradesh, Urban Development and Housing Department, Mantralaya, Bhopal. Objections and Suggestions received before the expiry of the period specified above may be considered by the State Government.

By order and in the name of the
Governor Of Madhya Pradesh,



(C.K.Sadhav)

Deputy Secretary

Government of Madhya Pradesh
Urban Development And
Housing Department